

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं.ले.प./हिं.क./हिं.शि.यो.-पारंगत/2025-26

दिनांक:13.01.2026

अनुभागीय आदेश सं.355 /Sectional Order No.355

इस कार्यालय के निम्नोक्त पदाधिकारियों को जनवरी 2026 से हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित पारंगत कक्षाओं हेतु नामित किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने है। कक्षाएं आरबीआई, तिरुवनंतपुरम में सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

The following officials of this office are nominated for the Parangat classes organized by Hindi Teaching Scheme from January 2026. Duration of the course is 5 months. Classes will be conducted on all Mondays, Wednesdays and Fridays from 10.00 pm to 12.00 pm at RBI, Thiruvananthapuram.

क्र.सं. Sl. No.	नाम(श्री) Name(Shri)	पदनाम Designation	अनुभाग Section
1	अर्जुन सतीश Arjun Satheesh	लेखापरीक्षक Auditor	रिपोर्ट (एल बी ए) Report (LBA)
2	परमेश्वरन जे Parameswaran J	लेखापरीक्षक Auditor	आई टी एस कक्ष ITS Cell

नामित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे श्रीमती एस श्रीलता प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना से संपर्क करें।

Officials nominated are requested to contact Smt. S. Sreelatha, Pradyapak, Hindi Teaching Scheme. Mob..no.9446393233

भारत सरकार, राजभाषा विभाग के का.ज्ञा . सं. दि.19.02.1976 तथा का.ज्ञा. सं. 110122/5/83-OL(D) दि. 02.12.1983 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी कक्षाओं में उपस्थिति तथा प्रशिक्षण की पूर्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। कक्षाओं का परित्याग तथा परीक्षा में अनुपस्थिति कर्तव्यत्याग तुल्य माना जाएगा। संबंधित ग्रुप अधिकारी एवं शाखा अधिकारी से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नामित कर्मचारी नियमित रूप से कक्ष में उपस्थित हो रहा है। प्राध्यापक से भी यह अनुरोध किया जाता है कि भारत सरकार के आदेशों में अपेक्षित अनुसार हर पखवाड़े अनुपस्थिति विवरण भेज दें।

As per Government of India, Department of Official Language O.M. No. dated 19.02.1976 and OM No. 110122/5/83-OL(D) dated 02.12.1983 attendance in Hindi Classes during the period of training and appearing in the examination on

completion of training are compulsory. Abandoning the classes and non-appearance in the examination will tantamount to dereliction of duty. Group officers and branch officers concerned are requested to ensure that the officials nominated attend the classes regularly. The Pradhyapak is also requested to send us the statement of absentees every fortnight as required in the Government of India Orders.

(महालेखाकार के दिनांक 12.01.2026 के आदेशानुसार)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. अनु.आ.बुक/S.O.Book
2. संबंधित पदधारी/ The Officials concerned.
3. संबंधित वरि.ले.प.अ./Sr.AO Concerned
4. का.स्था.बिल्स/रोकड/हक./OE Bills/Cash/Entt.
5. पी ए ओ/ PAO
6. श्रीमती एस श्रीलता, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना, तिरुवनंतपुरम
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी /हिन्दी शिक्षण योजना